प्रेसनोट, दिनांक 12.10.2025
थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

पुलिस मुठभेड़ में हत्या के प्रयास व लूट का आरोपी बदमाश गिरफ्तार, साथी भी पुलिस हिरासत में

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.10.2025 को रात्रि के समय श्रीमती शान्ती पत्नी स्वं बलवन्त सिंह उम्र करीब 70 वर्ष निवासिनी ग्राम बत्तूखेड़ा जनपद उन्नाव द्वारा थाना अजगैन पर सूचना दी गई कि शाम को समय करीब 19.30 बजे वह अपने घर पर स्थित दुकान पर मौजूद थी तभी हेलमेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति मेरी दुकान पर आया और मुझसे कुछ सामान खरीदा जिसके बाद उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान में घुसकर मुझपर जान से मारने की नियत से हमला किया और मेरा गला दबा दिया तभी किसी के आने की आहट पाकर उपरोक्त व्यक्ति मेरी गले में पहनी सोने की चेन छीनकर भाग गया है। उक्त घटना को मेरे भतीजे लकी पुत्र लालबहादुर द्वारा कराया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0स0 469/25 धारा 333/109/309(4)/351(3) बीएनएस बनाम लकी सिंह उपरोक्त व उसके अज्ञात साथी पंजीकृत किया गया था। घटना के सन्दर्भ में क्षेत्राधिकारी हसनगंज द्वारा पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। आज दिनांक 12.10.2025 को समय करीब सुबह 04.30 बजे थाना अजगैन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त घटना को कारित करने वाला अज्ञात अभियुक्त लखनापुर रोड पर बाबा ढाबा के आगे हिम सिटी के पास नहर की पटरी पर मौजूद है। सूचना पर एसओजी, सर्विलांस व थाना अजगैन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये। अभियुक्त द्वारा खुद को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम

पर फायर कर दिया गया जिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची । आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त द्वारा अपना नाम राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिवप्रसाद श्रीवास्तव निवासी बेहटाखुर्द कैथना थाना भधोहर जनपद रायबरेली बताया गया है। पूछताछ में अभियुक्त बताया गया उसे ग्राम बत्तूखेड़ा निवासी लकी पुत्र लालबहादुर द्वारा अपनी चाची श्रीमती शान्ती उपरोक्त की सम्पत्ति व जायदाद हड़पने के उदेश्य से अपनी चाची श्रीमती शान्ति की हत्या करने के लिये 05 लाख रुपये देने का लालच(सुपारी) दिया गया था तथा घटना को लूट-पाट करने व लूटपाट के विरोध में हत्या होने की योजना बनाई गई जिसके लिये हम लोगो द्वारा पिछले 05 दिनों से रेकी की जा रही थी। कल शाम के समय मेरे द्वारा श्रीमती शान्ती देवी के दुकान पर अकेले होने पर मेरे द्वारा उनकी दुकान पर जाकर उनपर हमला कर हत्या करने का प्रयास किया गया था परन्तु किसी के आने ही आहट होने पर मैं उनके गले में पहनी सोने की चेन जो मेरे हाथ में फंस गई थी को लेकर मौके से भाग गया था और अपनी योजना में सफल नही हो पाया था। हमारे द्वारा पूरी योजना इस प्रकार दिखाई जाये कि लूट पाट के विरोध में हत्या हो गई ताकि लकी व उसके परिवार पर पुलिस को संदेह ना हो। मौके से अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ 315 बोर तथा एक छीनी हुई सोने की चेन का टुकड़ा व लाकेट बरामद किया गया है। अभियुक्त राकेश भधोखर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। तत्पश्चात आज दिनांक 12.10.205 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित प्रकाश आये अभियुक्त बुद्धिलाल पुत्र स्व0 पियारे लाल निवासी ग्राम बक्तूखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को कब्जे से लूटी गयी पीली धातु चैन का टुकडा को बरामद कर जगदीश मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिवप्रकाश श्रीवास्तव निवासी कैथन बेहटा खुर्द पोस्ट भुएमऊ थाना भदोखर जनपद रायबरेली उम्र करीब 40 वर्ष

2- बुद्धिलाल पुत्र स्व0 पियारे लाल निवासी ग्राम बक्तूखेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण – अभियुक्त राकेश श्रीवास्तव के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसमें एक अदद फसा हुआ खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पीली धातु छीनी हुई चैन का आंशिक भाग मय लाकेट ओम लिखा हुआ बरामद तथा अभियुक्त बुद्धीलाल के कब्जे से छीनी गयी पीली धातु चैन का टुकडा बरामद

अपराधिक इतिहास अभि0 राकेश श्रीवास्तव –

1- मु0अ0सं0 470/25 धारा 109 BNS व 3/25/27 A ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव

2- मु0अ0सं0 469/25 धारा 333/109/309(4)/351(3)/111/3(5)/61(2)/317(2) BNS थाना अजगैन जनपद उन्नाव

3- मु0अ0स0 140/02 धारा 323/504/506 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली

4- मु0अ0स0694/07 धारा 457/380/411 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली

5- मु0अ0स0 746/07 धारा 401 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली

6- मु0अ0स0 1329/08 धारा 379 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली

7- मु0अ0स0 598/2009 धारा 110(G) CRPC थाना भदोखर जनपद रायबरेली

8- मु0अ0स0 2206/10 धारा 110(G) CRPC थाना भदोखर जनपद रायबरेली

9- मु0अ0स0 57/12 धारा 110(G) CRPC थाना भदोखर जनपद रायबरेली

10- मु0अ0स0 493/15 धारा 110(G) CRPC थाना भदोखर जनपद रायबरेली

11- मु0अ0स0 86/17 धारा 110(G) CRPC थाना भदोखर जनपद रायबरेली

12- मु0अ0स0 165/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली

13- मु0अ0स0 457/19 धारा 4/10 UP G ACT थाना भदोखर जनपद रायबरेली

14- मु0अ0स0 412/21 धारा 3/25 A ACT थाना भदोखर जनपद रायबरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अजगैन पुलिस टीम

प्रभारी निरी0 श्री सुरेश कुमार सिंह

वरि0 उ0नि0 श्री मोर मुकुट पाण्डेय

उ0नि0 श्री दयाराम सिंह

उ0नि0 श्री श्याम जी शर्मा

उ0नि0 श्री मुकुल कुमार दुबे

हे0का0 संजेश कुमार

हे0का0 सन्तोष कुमार

का0 रोहित कुमार सिंह

का0 अभय कुमार चौहान
का0 पुष्पेन्द्र सिंह व का0 पवन कुमार
का0 गौरव कुमार
का0 बलराम गोस्वामी
का0 अनूप द्विवेदी

स्वाट टीम जनपद उन्नावः-

उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह
हे0का0 रोहित शर्मा
हे0का0 आशीष मिश्रा
का0 विकास
का0 नितीश यादव
का0 हरेश बालियान
का0 गौरव चौधरी

सर्विलान्स टीम जनपद उन्नावः-

उ0नि0 श्री विनोद सिंह
का0 अरूण कुमार
का0 आकाश बालियान

प्रेसनोट, दिनांक 12.10.2025

थाना औरास, जनपद उन्नाव

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना औरास पुलिस द्वारा हत्या के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.10.2025 को वादी शुभम पुत्र करन सिंह की तहरीर पर थाना औरास पर मु0अ0सं0 342/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.10.2025 को प्र0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा तीनो अभियुक्तगण 01.अमित कुमार पुत्र वीरेन्द्र 02. सर्वेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासीगण ग्राम डल्लू खेड़ा थाना औरास जनपद उन्नाव 03.पप्पू उर्फ सूरज सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम शिवबक्श खेड़ा थाना औरास जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 12.10.2025 को मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र स्व0 सूबेदार नि0 डल्लू खेड़ा थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष को पीएनबी नर्सरी पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. वीरेन्द्र पुत्र स्व0 सूबेदार नि0 डल्लू खेड़ा थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01.प्र0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह

02.का0 निक्कू राजभर